संख्या-07/2020/238/46-1-2020-20(02)/2019

प्रेषक,

बच्चू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उ.प्र., लखनऊ

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2020

विषयः-वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में गन्ना शोध संस्थान गोरखपुर की पुर्नस्थापना हेतु अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू. 2900.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति रू.2899.27 लाख के आहरण सम्बन्धी मार्गदर्शन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-116-17/लेखा-बजट/, दिनांक 30-01-2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शासनादेश संख्या-34/2019/785/46-1-19-20(02)/2019, दिनांक 30-07-2019 के द्वारा स्वीकृत धनराशि रू.2899.27 लाख को गोरखपुर कोषागार में संचालित लेखाशीर्षक-8443001170000 सिविल डिपाजिट वर्क डन पब्लिक वाडिज खाता संख्या में स्वीकृत धनराशि रू.2899.27 लाख को स्थानान्तरित किये जाने का मार्गदर्शन दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गन्ना शोध संस्थान, गोरखपुर की पुर्नस्थापना हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-34/2019/785/46-1-19-20(02)/2019, दिनांक 30-07-2019 के द्वारा स्वीकृत धनराशि रू.2899.27 लाख को प्रस्तर-1(9) में रखी गयी शर्त से छूट प्रदान करते हुए गोरखपुर कोषागार में संचालित लोकलेखे के "लेखाशीर्षक-8443001170000-सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों के लिए किये गये कार्य के लिए जमा" में जमा किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि चिन्हित 19.995 हे० कृषिगत भूमि क्रय करने हेतु जिलाधिकारी, गोरखपुर को यथा प्रक्रिया उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली 2016 के सुसंगत उपबन्धों के अन्तर्गत सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) उक्त धनराशि का प्रयोग इंगित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा भूमि क्रय की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर अवशेष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जायेगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-170/दस-2020 दिनांक 06 मार्च, 2020 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(बच्चू लाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या-07/2020/238(1)/46-1-2020-20(02)/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ/निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
5. मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
6. जिलाधिकारी गोरखपुर।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1/2,
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बच्चू लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है